

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *144
TO BE ANSWERED ON 02.08.2023

POSH ACT AND ITS IMPLEMENTATION

*144. SMT. VANDANA CHAVAN:

Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

- (a) whether according to the report titled "Changed Awareness of PoSH in Workplace" published by National Human Resource Development, only 8 per cent of women in the workplace are aware of the provisions of the PoSH Act, if so, steps being taken by Government in this respect;
- (b) the system to monitor and whether Government organisations have complied with requirements of the Act, details regarding number of organisation and their compliance as per the legislation; and
- (c) whether 16 out of 30 National Sports Federations in the country have not constituted Internal Complaints Committee (ICC), if so, action Government plans to take in this respect?

ANSWER

MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI)

(a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 144 FOR 02.08.2023 ASKED BY SMT. VANDANA CHAVAN REGARDING 'POSH ACT AND ITS IMPLEMENTATION'

(a) to (c): The Government has enacted "the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" (SH Act) to provide protection to women against sexual harassment at workplace and for the prevention and redressal of complaints related to it. The Act covers all women, irrespective of their age, employment status or nature of work whether working in public or private, organised or unorganised, formal or informal sectors. The Act casts an obligation upon employers of all workplaces, public or private, to provide a safe and secure working environment free from sexual harassment, whereby every employer is mandated to constitute an Internal Committee (IC) wherever the number of employees/ workers is more than 10. Similarly, the Appropriate Government is authorised to constitute Local Committee (LC) in every district to receive complaints from organisations having less than ten workers or if the complaint is against the employer himself.

The responsibility of constituting Internal Committees (ICs) as per provisions of the Act, with reference to the workplaces falling within their respective jurisdiction, rests with the appropriate Governments i.e. the concerned Ministries/ Departments/ Offices of the Central Government. Similarly, in relation to the work places in a State/ UT, the responsibility lies with State Governments/ UT administrations. They are also responsible for monitoring the implementation of the Act and maintaining data on the number of cases filed and disposed of. The details of number of cases of sexual harassment filed and resolved are not maintained centrally. In so far as, the Ministry of Women and Child Development is concerned, the Internal Committee (IC) are constituted in the main secretariat of the Ministry as well as in its associated organisations such as National Commission for Women (NCW), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Central Adoption Resource Authority (CARA), National Institute for Public Cooperation and Child Development (NIPCCD), Rashtriya Mahila Kosh (RMK) and Central Social Welfare Board (CSWB).

Further, being the Nodal Ministry, the Ministry of Women and Child Development (MWCD) issues advisories to all Central Ministries/ Departments and State Governments/ UTs from time to time to ensure proper implementation of the Act including for setting up of IC and LC for all workplaces and to organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees. In so far as the report titled "Changed Awareness of PoSH in Workplace" published by 'National Human Resource Development' is concerned, the Government is neither aware of the methodology of the study nor its findings, hence it cannot endorse the authenticity of the report.

The provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) (POSH) Act, 2013 are applicable to the National Sports Federations (NSFs), which are autonomous bodies, as also to those sports governing bodies which are under Central Government and the State Governments/ UT Administrations, as applicable to any entity defined in the Act. These bodies are bound to take action, including formation of the Internal Complaints Committee (ICC), in terms of the extant legal provisions in cases of sexual harassment reported to them. Details of the NSFs with duly constituted ICC are given at **Annexure-I**.

REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *144 TO BE ANSWERED ON 02/08/2023 ASKED BY SMT. VANDANA CHAVAN REGARDING POSH ACT AND ITS IMPLEMENTATION

Names of recognized NSFs which have formed Internal Complaints Committees

	All India Tennis Association
	Indian Pancak Silat Federation
	Yogasan Bharat
	Squash Rackets Federation of India
	Archery Association of India
	Sepaktakraw Federation of India
	Amateur Soft Tennis Federation of India
	Kudo International Federation of India
	Wushu Association of India
	Indian Weightlifting Federation
	Rowing Federation of India
	Athletics Federation of India
	Cycling Federation of India
	Amateur kabaddi Federation of India
	Kho Kho Federation of India
	Indian Golf Union
	Gymnastics Federation of India
	Paralympic Committee of India
	Equestrian Federation of India
	Boxing Federation of India
	Hockey India
	Cerebral Palsy Sports Federation of India
	All India Football Federation of India
	School Games Federation of India
	Ju-Jitsu Association
	All India Chess Federation
	WAKO India Kickboxing Federation
	National Rifle Association of India
	Shooting Ball Federation of India
	Roller Skating federation of India
	Swimming Federation of India
	Basketball Federation of India
	Fencing Association of India
	All India Sports Council of Deaf
	Special Olympic Bharat
	Bridge Federation of India
	Billiards & Snooker Federation of India
	Netball Federation of india
	Badminton Association of India
	Tenpin Bowling Federation (India)
	Yachting Association of India
	Indian Kayaking & Canoeing Association
	Indian Polo Association
	Indian Triathlon Federation
	Table Tennis Federation of India
	Roll Ball Federation of India
	AtyaPatya Federation of India
	Tennis Ball Cricket Federation of India
	Indian Rugby Football Union
	Cycle Polo Federation of India
	Softball Federation of India
	Taekwondo Federation of India
	Wrestling Federation of India*

* At present the affairs of Wrestling Federation of India are being managed by the Ad hoc Committee appointed by Indian Olympic Association.

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *144

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

पी ओ एस एच अधिनियम और इसका कार्यान्वयन

***144 श्रीमती वंदना चव्हाण:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास द्वारा प्रकाशित "चेंज्ड अवेयरनेस ऑफ पॉश इन वर्कप्लेस" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कार्यस्थल पर केवल 8 प्रतिशत महिलाओं को भी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (पीओएसएच) के उपबंधों के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) इसकी निगरानी करने की प्रणाली क्या है और क्या सरकारी संगठनों ने अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, संगठनों की संख्या और इस कानून के अनुसार उनका अनुपालन किए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या देश में 30 राष्ट्रीय खेल महासंघों में से 16 ने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन नहीं किया है, यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने की योजना बना रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

‘पी ओ एस एच अधिनियम और इसका कार्यान्वयन’ के संबंध में श्रीमती वंदना चव्हाण द्वारा 02.08.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *144 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): सरकार ने महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और रोकथाम और इससे संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में सभी महिलाओं को, उनकी आयु, रोजगार की स्थिति या काम की प्रकृति, सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित, औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने की स्थिति पर विचार किए बिना, शामिल किया गया है। अधिनियम में सभी कार्यस्थलों, सार्वजनिक या निजी, के नियोक्ताओं पर यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने का दायित्व डाला गया है, जिसके तहत प्रत्येक नियोक्ता को जहां भी कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 10 या इससे अधिक है, वहां एक आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, उपयुक्त सरकार दस से कम श्रमिकों वाले संगठनों से शिकायतें या स्वयं नियोक्ता के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (एलसी) का गठन करने के लिए अधिकृत है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यस्थलों के संदर्भ में आंतरिक समितियों (आईसी) के गठन की जिम्मेदारी उपयुक्त सरकारों यानी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की है। इसी प्रकार, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यस्थलों के संबंध में जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। वे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और दायर और निपटाए गए मामलों की संख्या का डेटा बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं। दर्ज किए गए और निपटाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। जहां तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सवाल है, मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (निपसिड), राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) जैसे संबद्ध संगठनों में आंतरिक समिति (आईसी) का गठन किया जाता है।

इसके अलावा, नोडल मंत्रालय होने के नाते, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सभी कार्यस्थलों पर आईसी और एलसी स्थापित करने और और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने सहित अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी करता है। जहां तक 'राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास' द्वारा प्रकाशित "चेंज्ड अवेयरनेस ऑफ पॉश इन वर्कप्लेस" शीर्षक रिपोर्ट का सवाल है, सरकार को न तो अध्ययन की पद्धति और न ही इसके निष्कर्षों के बारे में पता है, इसलिए वह रिपोर्ट की प्रामाणिकता का समर्थन नहीं कर सकती।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) (पीओएसएच) अधिनियम, 2013 के प्रावधान राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), जो स्वायत्त निकाय हैं, पर लागू होने के साथ ही उन खेल शासी निकायों पर भी लागू होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन हैं, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किसी भी इकाई पर लागू होते हैं। ये निकाय उन्हें सूचित किए गए यौन उत्पीड़न के मामलों में कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के गठन सहित कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। विधिवत गठित आईसीसी वाले एनएसएफ का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

अनुलग्नक

‘पी ओ एस एच अधिनियम और इसका कार्यान्वयन’ के संबंध में श्रीमती वंदना चव्हाण द्वारा 02.08.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *144 के भाग (ग) से संदर्भित अनुलग्नक

मान्यता प्राप्त एनएसएफ के नाम जिन्होंने आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है

	अखिल भारतीय टेनिस संघ
	इंडियन पैनकक सिलाट फेडरेशन
	योगासन भारत
	स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय तीरंदाजी संघ
	सेपकटक्रॉ फेडरेशन ऑफ इंडिया
	एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया
	कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	वुशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया
	भारतीय भारोत्तोलन महासंघ
	रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय एथलेटिक्स महासंघ
	साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
	एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय खो खो महासंघ
	भारतीय गोल्फ संघ
	जिमनास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारत की पैरालंपिक समिति
	भारतीय घुड़सवारी महासंघ
	बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
	हॉकी इंडिया
	सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
	ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
	जू-जित्सु एसोसिएशन
	अखिल भारतीय शतरंज महासंघ
	वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन
	भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन
	शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ
	भारतीय तैराकी महासंघ

	बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया
	बधिरो की अखिल भारतीय खेल परिषद
	विशेष ओलंपिक भारत
	ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया
	बिलियर्ड्स एवं स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया
	नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय बैडमिंटन संघ
	टेनपिन बॉलिंग फेडरेशन (भारत)
	भारतीय नौकायन संघ
	भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन
	इंडियन पोलो एसोसिएशन
	इंडियन ट्रायथलॉन फेडरेशन
	टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया
	रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	आत्यापात्य फेडरेशन ऑफ इंडिया
	टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ
	साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया
	सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया
	ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया
	भारतीय कुश्ती महासंघ*

* वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के मामलों का प्रबंधन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति द्वारा किया जा रहा है।

श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कितनी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने महिला स्पोर्ट्स की मदद के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी की स्थापना की है? माननीय मंत्री जी इसका ब्यौरा दें।

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। आज की भारत की बेटियाँ स्पोर्ट्स में काफी अच्छा काम कर रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माननीय सदस्य, पी. टी. उषा जी हैं, जो आज इस सदन में हमारे साथ बैठी हैं। चाहे नेशनल गेम्स हों, चारे एशियाड हों, कॉमनवेल्थ हों या ओलंपिक्स हों...

श्री सभापति : चाहे यह चेयर हो, her performance from this Chair has been remarkably excellent, very confident.

डा. मुंजापारा महेन्द्रभाई : महोदय, हमारी बेटियाँ सभी जगहों पर empower होकर बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद स्पोर्ट्स में काफी तरक्की हुई है। लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया को हाईस्ट मेडल मिले। हमारी बेटियाँ जहाँ भी प्रेक्टिस कर रही हैं, चाहे ग्राउंड में कर रही हैं, वहाँ उनके साथ कोई हैरेसमेंट न हो, इसके लिए Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 का प्रोविज़न किया गया है। उसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी सम्मिलित किया गया है। जहाँ 10 से ज्यादा खिलाड़ी काम करते हैं, वहाँ एक इंटरनल कमिटी की स्थापना की जाती है और जहाँ 10 से कम खिलाड़ी काम करते हैं, वहाँ एक लोकल कमिटी की स्थापना की जाती है। उसमें अभी तक 53 रेकग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ने इंटरनल कमिटीज़ की रचना कर दी है और वे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं।

MR. CHAIRMAN: Q.No.145. Shrimati Sangeeta Yadav.